



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 1391/अका./सम्बद्धता/2021

रायपुर, दिनांक : 06/02/2021

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.01.2021 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.01.2021 के अनुमोदनानुसार, दुलीचंद जालान कॉलेज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, तिलाईपाली, सरसीवा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय के लिये सत्र 2020-21 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1	बी.एससी.तृतीय वर्ष (वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र)	75 सीट	2019-2020
2	बी.ए.तृतीय वर्ष (राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी/अंग्रेजी)	75सीट	
3	बी.कॉम. सभी अनिवार्य विषय (तृतीय वर्ष)	75सीट	
4	बी.सी.ए.तृतीय वर्ष	30सीट	

शर्त :-

01. महाविद्यालय को आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनाल, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय त, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्रमांक 2127/141/आउशि/अ.शै.प्र./2019 दिनांक 05.08.2019 द्वारा नवीन पाठ्यक्रम की अनुमति प्रदान की गई है। शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 02. प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका के सिद्धांत एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का नियमानुसार पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
 03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
 04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
 05. इण्डोमेंट फण्ड की राशि कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की मूलप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
 06. समय-समय पर विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
 07. निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई है।
 08. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में नियुक्त/पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
 09. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
 10. परिनियम-27 एवं 28 का पालन करें।
- उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

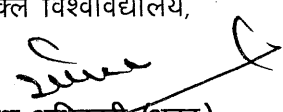
6/2/21

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पृ. क्रमांक 1392
/अका./सम्बद्धता/2021
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 06/02/2021

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
- 02 संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- 03 संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
- 04 संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
- 05 स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- 06 अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- 07 कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ


कक्ष अधिकासी (अका.)

क्र. 06/02/2021

भाग "ब"

भाग "अ" में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।
प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिन्दुवार प्रतिवेदन।

(प्रतिवेदन में अनुरोधों का न की जाए अपितु मात्रता/अमात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिये शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।)

निरीक्षण आदेश क्रमांक : 2592/Lead/2020 Raipur dt 25/2/20

निरीक्षण की तिथि : 02.12.20

प्रस्तावित पाठ्यक्रम का विवरण जिसके लिये सम्बद्धता चाही गई है:-

कक्षा	विषय	अपेक्षित सीट	सत्र	वर्तमान सत्र में प्रवेश की स्थिति
B.Sc III yr	Bot., Zool., Phys & Chem	75	2019-20	36
B.A. III yr	Pol. Sc., Sociol., Eco., English/Hindi/All subject	75	2019-20	34
B.Com III yr		75	2019-20	16
B.C.A III yr		30	2019-20	86

क्र.	विवरण	भाग "अ" में बिन्दु क्रमांक	मात्रता/कमियों का विवरण
1.	समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता	1(ii)	वैध है (till 20.6.2022)
2.	समिति के नाम अधिवाहित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि	1(iv)	2.268 Hectare (5.59 Acre)
3.	इडोमेंट फण्ड में जमा की गई राशि	1(v)	Rs 17.97 lakh (till 26.7.21)
4.	शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि	2(iii), 2(v)	20.6.2022 20.6.2022
5.	महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं?	3(xii)	स्वयं के भवन में
6.	महाविद्यालय भवन में मानदंड के अनुरूप कक्षा की उपलब्धता	3(xiv)	कक्षा उपलब्ध है
7.	यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षा की उपलब्धता	3(xvi)	प्रयोगशाला के कक्षा कम एवं छोटे हैं। तीन विषय की प्रयोगशाला एक कक्षा में है।
	प्रयोगशाला हेतु उपकरणों उपलब्धता	3(xvi)	तृतीय वर्ष के निरक्षण में भी उपकरणों का अभाव है। धुविचार सृजित नहीं की गई है। प्रयोगशाला स्थापित भवन के अनुरूप नहीं है। विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
	प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिये विषयवार शिक्षकों पर्याप्तता/आवश्यकता	5(viii)	महाविद्यालय में एक भी शिक्षक वार-28 में नियुक्त नहीं है। शिक्षकों की कमी है। महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य का अभाव है। अभी तक वार-28 में पद निष्ठापित नहीं किए गए हैं।

4. डा० डा० प० चं डा० र
...
... ली. के. परछे
...
...
Date 02-12-20

02/12/20